

|         |       |                |             |                            |   |
|---------|-------|----------------|-------------|----------------------------|---|
| क्र.सं. | ग्राम | जनाबन्दी संवत् | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।) |
| 1       | धनौष  | 2075-78        | 27          | ब्रह्मलाल पु० अर्जुन       | विराट्ट पु० अर्जुन  |

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को पेशित केंद्र विवेचन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार आवेदनक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आदेश का अर्थ उचित है। अर्थ अयोग्य की जाती है / अयोग्य की जाती है।

उचित किया जाय / उचित है।  
 दिनांक :- 08/11/2021  
 तहसीलदार उदयपुरवाटी / गुढागोडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)  
 - आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पञ्जावली पर उपलब्ध दरस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागोडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागोडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की लना की जावे।

राजस्व/2020/7575B

तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागोडजी को वारंते पालनार्थ।  
 प्रार्थी/प्रार्थीया

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 8/11/21

को सूचनार्थ।  
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी